भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रू. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी अमरोहा

मुख्य कोषाधिकारी

NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FX 683329

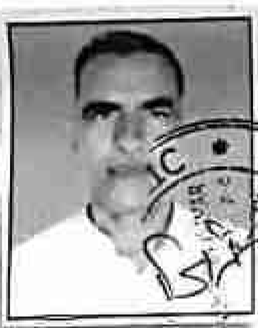

प्रारूप अ

सत्र 2023–24 मे नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूप :–

हम जितेन्द्र कुमार (अध्यक्ष) एवं डा. सोरन सिंह (सचिव) वाहेगुरु जन कल्याण ट्रस्ट, 189, शीलकुन्ज, रूड़की रोड, मेरठ शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है :–

NOTARY PUBLIC • GOVT. OF INDIA • AKHILESH KUMAR • MEERUT

ATTESTED

AKHILESH KUMAR
NOTARY MEERUT

Scanned with CamScanner

1. यह कि हमारी ट्रस्ट/सोसाइटी द्वारा "डी.एस.एम. कालेज आफ फार्मेसी" 16 मूसापुर (यक बगडी), गजरौला, अमरोहा की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी ट्रस्ट/सोसाइटी के नाम मूसापुर में गाटा संख्या 16 में रकवा 9.340 हेक्टेयर भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 16, रकवा 0.9340 हेक्टेयर पर डी.एस.एम. कालेज आफ फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 20.02.2020 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रशनगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों ६ आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद् द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

NOTARY PUBLIC · GOVT. OF INDIA · AKHILESH KUMAR Advocate Regd. No. 8547 Meerut

ह० सचिव

ह० अध्यक्ष

ATTESTED
AKHILESH KUMAR
NOTARY MEERUT

Scanned with CamScanner